जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.-.................. Dated:- ....

कार्यालय–आदेश

संलग्न पत्र शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 15/एम–1–197/2014–843 (संलग्न) के आलोक में सभी विभागाध्यक्षों तथा सभी सम्बद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त पत्र में निहित तथ्यों का अनुपालन किया जाय। तदनुरूप सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक नामांकन के समय किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जायेंगे। इस कारण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय को होने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जायगी।

कुलपति के आदेश से

ह0/–
(डॉ0 अशोक कुमार सिंह)
अध्यक्ष
छात्र कल्याण विभाग

ज्ञापांक 7737(R) दिनांक 14.06.2016

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालय
2. विभागाध्यक्ष, जय प्रकाश विश्वविद्याल, छपरा
3. कुलपति/प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

13.6.16

अध्यक्ष
छात्र–कल्याण विभाग

पत्रांक 15/एम 1–197/2014 - 843
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

खालिद मिर्जा,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 11/5/16

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क नही लिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध विभागीय संकल्प संख्या 1457 दिनांक 24.07.2015 में निहित निदेशों का स्मरण किया जाए। यह संकल्प की प्रति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी को भेजी गयी है, साथ ही इसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। संकल्प के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क नही लिए जाऐंगे। शुल्क नहीं लिए जाने के कारण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को होने वाली आर्थिक क्षति की वास्तविक गणना प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में होने वाले नामांकन के आधार पर की जाएगी एवं तद्नुसार राशि प्रतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को की जाएगी।

परंतु विभागीय स्तर पर सरकार के निर्णय का अनुपालन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा नहीं किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। अतएव, अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या 1457 दिनांक 24.07.2015 में निहित निदेश का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
11.5.16
(खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा